

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 07 / 2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए
16.4.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल बाबुराम पुत्र सालाजी, जाति- गरासिया, निवासी- खाराफली, आमली, पुलिस थाना पिण्डवाडा उपस्थित। गैरसायल के वकील श्री ईसाराम गरासिया उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 12.4.2024 को गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगारसे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है व शराब बेचने का अपराध करने का आदि है। गांव में इस प्रकार शराब बेचने का कारोबार चलाने से कई गरीब परिवार अपनी जमा पुंजी गवा चुके है एवं गवा रहे है। इस प्रकार शराब का कारोबार करने से समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। युवा एवं किशोर वर्ग शराब पीने की तरफ अग्रसर हो रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। गैरसायल के इस प्रकार के कृत्य से आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। आमजन ऐसे बदमाश व्यक्ति की आपराधिक हरकतों से परेशान है व इसने थाना क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण बना दिया है इसके भय के कारण लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध अवैध शराब बेचे जाने व परिवहन करते पकड़े जाने पर पुलिस थाना पिण्डवाडा में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत 03 प्रकरण दर्ज हुये है जिसमें 2 प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है एवं एक प्रकरण वर्तमान में जैर अनुसंधान है। वर्तमान में भी गैरसायल अवैध शराब परिहवन करने से बाज नहीं आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत दर्ज कुल 03 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में दायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 06.3.2024 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल ने कभी शान्तिमय नहीं की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजूदरी करके अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	16




बाबुराम


  
 वा. जिला मजिस्ट्रेट  
 सिरोही-307001



तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 07/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>नहीं है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नहीं की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल बाबुराम पुत्र सालाजी, जाति- गरासिया, निवासी- खाराफली, आमली, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना, पिण्डवाडा में राजस्थान आबाकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 163 दिनांक 16.6.2012, 96 दिनांक 15.2.2021 व 102 दिनांक 06.3.2024 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार उक्त अपराध संख्या 163 दिनांक 16.6.2012 एवं 96 दिनांक 15.2.2021 में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं अपराध संख्या 102 दिनांक 06.3.2024 जैर अनुसंधान है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 163 दिनांक 16.6.2012 एवं 96 दिनांक 15.2.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्मान/सजा से दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 163 दिनांक 16.6.2012, 96 दिनांक 15.2.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 163 दिनांक 16.6.2012 व 96 दिनांक 15.2.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 20.7.2012 व 04.3.2021 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब बेचने एवं परिवहन करने के अपराध करने का आदि है। वर्तमान में भी गैरसायल अवैध शराब परिहवन करने से बाज नहीं आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था एवं समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुये गैरसायल बाबुराम पुत्र सालाजी, जाति- गरासिया, निवासी- खाराफली, आमली, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17.4.2024 से 31.5.2024 तक की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, पिण्डवाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, पिण्डवाडा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



  
 पति. पिसा पबिसु  
 सिरौही-307001.

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 07 / 2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए</p>
	<p>अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नहीं रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 22.4.2024 तथा 07.5.2024 को पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, पिण्डवाडा को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, पिण्डवाडा / सिरौही कोतवाली को पालनार्थ प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: right;">   (डॉ. दिनेश राय सापेला)  <b>ज. जिला बचिस्पु</b>  <b>सिरौही-307001.</b> </p>	

